बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :–19.10.2015

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ० नसीम जैदी ने बिहार में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं अधिकाधिक सहभागितापूर्ण तरीके से कराने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी होकर एक स्वच्छ चुनाव का वातावरण तैयार करें। आज मुजफ्फरपुर में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा चतुर्थ एवं पंचम चरण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक के साथ की गयी बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रथम दोनों चरणों का चुनाव बगैर किसी हिंसा के शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव सम्पन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है। इस बैठक में निर्वाचन आयुक्त श्री अचल कुमार जोति, निर्वाचन आयुक्त श्री ओम प्रकाश रावत, उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा, निदेशक श्री एन० सी० स्वेन, निदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री अजय नायक, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री अरविन्द कुमार चौधरी एवं श्री आर० लक्ष्मणन एवं अन्य राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि इस निर्वाचन के पूर्व विकसित महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर यथा सुविधा (Single Window Clearance), समाधान (Vehicle Management System) तथा सुगम (Vehicle Management System) अच्छी तरह कार्य कर रह हैं तथा इसका प्रभावी उपयोग सभी Stakeholder के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने चतुर्थ एवं पंचम चरण के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन तीनों सुविधाओं का दैनिक आधार पर अनुश्रवण करें तथा इसे प्रभावी बनायें।

आयोग द्वारा विधि–व्यवस्था तथा सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुये त्योहारों यथा दशहरा, मुहर्रम, आदि को देखते हुये सामाजिक और धार्मिक समरसता एवं शांति व्यवस्था हर–हाल में बनाये रखने का निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई, गैरजमानती वारंट के निष्पादन, अवैध शराब तथा अवैध हथियारों की बरामदगी की कार्रवाई को और तीव्र करने का भी निर्देश दिया गया। मतदाताओं में विश्वास पैदा करने वाले उपायों तथा

केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा Area Domination की कार्रवाई पुरे क्षेत्र विशेष कर सभी भेद्य टोलो में कराने तथा आदर्श आचार संहिता को बिना किसी भेद–भाव के लागू करने का भी निर्देश दिया गया।

निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु सूचना प्रावैधिकी की मदद से विकसित एप्लीकेशन का प्रयोग शिकायत को दर्ज कराने हेतु किया जा रहा है तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर Ethical Voting के प्रचार प्रसार हेतु Booth Level Awareness Group का गठन किया गया है। आयोग ने सभी अधिकारियों को धन–बल के प्रभाव तथा काले धन के उपयोग को रोकने के लिये कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब तक इस चुनाव में कुल 17.55 करोड़ रूपये तथा 64.20 लाख नेपाली मुद्रा जब्त की जा चुकी है, जबकि विधान सभा निर्वाचन, 2010 के दौरान कुल 35.54 लाख जब्त किये गये थे। गत लोक सभा निर्वाचन, 2014 के दौरान 6.02 करोड़ रूपये नगद तथा 21.60 लाख रूपये नेपाली मुद्रा को जब्त किया गया था। निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के लिये आयोग ने Flying Squad/ SST का प्रभावी उपयोग केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की सहायता से निर्वाचन के दिन तक करने का निर्देश दिया है। राजनैतिक दलों द्वारा भी उनकी आयोग के साथ बैठक में आयोग की अवैध रूपये को नियंत्रित करने हेतु की गयी कड़ी कार्रवाईयों की प्रशंसा की गयी है।

चतुर्थ एवं पंचम चरणों के जिलों के पदाधिकारियों द्वारा बैठक में आयोग को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों की चुनावी तैयारियों से अवगत कराया गया। आयोग द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव के संचालन हेतु निर्देश दिये गये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं अधिकाधिक सहभागितापूर्ण तरीके से कराने हेतु अपने–आप को समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं पुलिस उपस्थित थे।

निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा के बाद सभी पदाधिकारियों को सक्रिय होकर सभी मतदाताओं को आवश्यक न्यूनतम सुविधा यथा स्थायी रैम्प, पेयजल, पुरूष एवं महिला के लिये अलग–अलग शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था एवं निर्वाचकों की सुविधा हेतु हेल्पलाईन की व्यवस्था सुदृढ़ कराने, हेल्पलाईन सुविधा सुदृढ़ करने तथा फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का मतदान की तिथि के कम–से–कम पाँच दिन पूर्व शत्–प्रतिशत वितरण करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान को और मजबूत तथा प्रभावी बनाने का निर्देश दिया, ताकि मतदाताओं की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके तथा मतदान प्रतिशत को अपेक्षानुरूप बढ़ाया जा सके।

इससे पूर्व कल दिनांक 18.10.2015 को आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस महानिदेशक, श्री पी० के० ठाकुर, प्रधान सचिव, गृह विभाग, श्री सुधीर कुमार राकेश, अपर पुलिस महनिदेशक, श्री सुनील कुमार, IG CRPF, सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, निदेशक (अन्वेषण) आयकर विभाग एवं पुलिस विभाग निर्वाचन व्यय के नोडल पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया तथा चुनाव के संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश दिये गये।

कल दिनांक 18.10.2015 को पटना आगमन के पश्चात आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के साथ बैठक की गयी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोग को उसके एकल खिड़की व्यवस्था सहित अन्य उपायों की प्रशंसा करते हुये अबतक की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। आयोग द्वारा उन्हें पुरी निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का प्रभावी नियंत्रण करने तथा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं अधिकाधिक सहभागितापूर्ण तरीके से चुनाव कराने के संबंध में आश्वस्त किया गया। राजनैतिक दलों के विभिन्न सुझावों का संज्ञान लेते हुये उन्हें आश्वासन दिया कि चुनाव का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव कराने के सारे प्रयास का निर्देश दिया जायेगा। राजनैतिक दलों ने निर्वाचन के दौरान सामाजिक एवं धार्मिक समरसता बनाये रखने, आदर्श आचार संहिता को एक समान रूप से लागु करने, धन–बल के प्रयोग के विरूद्ध कार्रवाई करने, पेड न्यूज के विरूद्ध कार्रवाई करने, मतदान केन्द्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव दिये गये।

Law & Order के तहत अभी तक कुल निम्नलिखित मामले सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	939
No. of Explosives seized	995
No. of cartridges seized	3,549
No. of Bombs seized	165
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	35
No. of Licensed Arms deposited	42,259
No. of Licensed Arms Cancelled	9,608
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	2,15,916
No. of non-bailable warrants executed	69,542
Fine collected in vehicle checking	Rs. 8,32,94,848

आदर्श आचार संहिता के **Enforcement** के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	957
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	166
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	248
Violation of Loudspeaker Act	44
Illegal Meeting/Speech etc.	62
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	18
Others	262

सुविधा सॉफ्टवेयर के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्नवत् है :–

कुल प्राप्त आवेदन	29463
निष्पादित	29193
लंबित	267
समय सीमा पार लंबित	03

समाधान सॉफ्टवेयर के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्नवत् है :–

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त आवेदन

कुल प्राप्त आवेदन	596
निष्पादित	503
लंबित	93

अन्य स्रोत से प्राप्त आवेदन

कुल प्राप्त आवेदन	5951
निष्पादित	5677
लंबित	274

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम एवं द्वितीय चरण के जिलों के मुख्य अंश

1. प्रथम एवं द्वितीय चरण के जिले जो नक्सल प्रभावित थे वहाँ भी शांतिपूर्ण और बिना किसी अप्रिय घटना के चुनाव कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।
2. प्रथम चरण के मतदान में कुल 55.67 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया जबकि 2010 के विधान सभा में यह प्रतिशत 50.85 थी। द्वितीय चरण में 55.45 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया जबकि 2010 में इसका प्रतिशत 52.03 था।
3. महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा ज्याँदा अच्छी रही। प्रथम चरण में 59.50 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया जबकि पुरूषों ने 54.50 प्रतिशत मतदान किया। दूसरे चरण में 56.55 प्रतिशत महिलाओं ने पुरूष मतदाता 54.30 की तुलना में मतदान किया।
4. मतदान के दिन मतदान के दौरान 716 शिकायते प्राप्त हुई जिसका समाधान तुरन्त करा दिया गया।
5. 2.04 प्रतिशत ई0वी0एम0 प्रथम चरण में एवं द्वितीय चरण में 2.3 ई0वी0एम0 ससमय बदले गये।
6. 18.7 प्रतिशत भी0भी0पैट प्रथम चरण में बदले गये जो द्वितीय चरण में घटकर 08 प्रतिशत पर सिमट गया।
7. प्रथम चरण में भी0भी0पैट Constituency की संख्या 08 थी जो दूसरे चरण में 05 थी।
8. प्रथम चरण में 209 आदर्श मतदान केन्द्र एवं द्वितीय चरण में 213 आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गये।
9. गया जिला में 07 ऐसे मतदान केन्द्र थे जिसमें सिर्फ महिलाये मतदान कर्मी प्रतिनियुक्त थे।
10. प्रथम चरण में 108 वर्षीय महिला श्रीमती महारानी देवी ने 143 तेघरा विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या– 53 पर मतदान किया जबकि दूसरे चक्र के मतदान में भभुआ विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या–205 पर 104 वर्षीय वृद्ध महिला ने मतदान किया।

****